भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न सं. ∗3

जिसका उत्तर 02.02.2023 को दिया जाना है

राज्य राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्ग में उन्नयन

∗**3**. श्री भागीरथ चौधरी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य राजमार्गों (एसएच) के राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) में उन्नयन के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) देश में 2014-15 से राष्ट्रीय राजमार्गों में अपग्रेड किए गए राज्य राजमार्गों का राज्य और राजमार्ग-वार क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत राजस्थान में इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) मॉडल के साथ नसीराबाद - देवली (99 किमी लंबा राज्य राजमार्ग-26) तथा दौसा - दूदू - नागौर (राज्य राजमार्ग-2) खंडों को चौड़ा करके उन्हें फुटपाथ के चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में अपग्रेड करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड.) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

'राज्य राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्ग में उन्नयन' के संबंध में श्री भागीरथ चौधरी द्वारा पूछे गए दिनांक 02.02.2023 के लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. *3 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) सुस्थापित सिद्धांतों के आधार पर राज्य राजमार्गों (एसएच) सहित राज्य सड़कों को समय-समय पर नए राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) के रूप में घोषित किया जाता है। नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा के लिए राज्य की सड़कों के मानदंड में निम्नलिखित कुछ शामिल हो सकते हैं:-

i. देश के कोने-कोने से गुजरने वाली सड़कें।
ii. निकटवर्ती देशों, राष्ट्रीय राजधानियों को राज्यों की राजधानियों / पारस्परिक रूप से राज्य की राजधानियों, प्रमुख बंदरगाहों, गैर-प्रमुख बंदरगाहों, बड़े औद्योगिक केंद्रों या पर्यटन केंद्रों से जोड़ना।
iii. पहाड़ी और अलग-थलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रणनीतिक आवश्यकता वाली सड़कें।
iv. मुख्य सड़कें,जिनसे यात्रा दूरी में काफी कमी आती हैं और पर्याप्त आर्थिक विकास हासिल होता है।
v. सड़कें जो पिछड़े क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र के बड़े इलाकों तक पहुंच को सुगम बनाती हैं।
vi. 100 किमी के राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड की उपलब्धि में योगदान देने वाली सड़कें।
vii. प्रधान मंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ सहक्रियता।

(ख) अप्रैल, 2014 से एनएच के रूप में अधिसूचित राज्यीय राजमार्ग सहित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) -वार राज्य सड़कों का विवरण अनुबंध पर संलग्न है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय को विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से, जिसमें राजस्थान राज्य सरकार भी शामिल है, राज्य सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित/ उन्नत करने के प्रस्ताव मिलते रहते हैं। मंत्रालय संपर्कता की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर राज्यीय राजमार्ग सहित कुछ राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने पर विचार करता है।

राजस्थान में राज्य की सड़कों के नसीराबाद-दियोली (99 किमी राज्यीय राजमार्ग-26) और दौसा - दूदू - नागौर (राज्यीय राजमार्ग-2) खंडों को एनएच के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है तथा इन राज्य सड़कों का विकास और रखरखाव राजस्थान राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

अनुबंध

'राज्य राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्ग में उन्नयन' के संबंध में श्री भागीरथ चौधरी द्वारा पूछे गए दिनांक 02.02.2023 के लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. *3 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अप्रैल, 2014 से राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित राज्यीय राजमार्ग सहित राज्य सड़कों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण :-

			लंबाई किमी में
क्र. सं.	**राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश**	**राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या / नाम**	**अधिसूचित रारा की लंबाई**
1	आंध्र प्रदेश	49,194ए,54,211,225,256,324,325,331,351,391,392,393,394,395,396,418,506,527,541,558,565,572,582,587,589,591,592,595,596,597,598,604,612,614,615,616,624	4,451
2	अरुणाचल प्रदेश	113,313,513,713,713ए,913	2,481
3	असम	137,137जी,208ए,329ए,702सी,702डी,715के	277
4	बिहार	119ए,119डी,120,122बी,124सी,131बी,131जी,133बी,133ई,139डब्ल्यू,227ए,227एफ,227जे,227एल,319ए,322,327,327एडी,333बी,333सी,527ए,527ई,727ए,727एए,727बी	1,393
5	छत्तीसगढ	45,130ए,130डी,130सीडी,143बी	474
6	दिल्ली	9,44,148एई,148एनए,248बीबी,344एम,344एन,344पी,709बी,एनई3	86
7	गोवा	166S,748एए	37
8	गुजरात	51,147,341,751,756,953,147डी,148एम,148एन,151ए,151एडी,151के,68,168,168ए,168जी,351,351एफ,351जी,351के,751डी,751डीडी,754के,848के,927सी,927डी ,927के,एनई4	3,588
9	हरियाणा	703,254,148बी,148एन,148एनए,152ए,152डी,152जी,248बीबी,334डी,344जीएम,344एन,344पी,352ए,352आर,352डब्ल्यू,444ए,709एडी,907जी,एनई4,एनई5	1,349
10	हिमाचल प्रदेश	503ए,505ए,705,907ए	246
11	जम्मू और कश्मीर	144,244,244ए,444,701ए,एनई5	422
12	झारखंड	133बी,143एच,143डी,320जी,143एजी,320डी,218,143बी,333ए,320बी	748
13	कर्नाटक	50,73,160,173,367,373, 161ए, 166ई,150सी,161ए,167एन,275के,367ए,369ई,544डीडी,544ई,548बी,548एच,561ए,748ए,748एए,752के,766सी,766ई,766ईई,948ए,एनई7	2,186
14	केरल	183,183ए	21
15	लद्दाख	कोई रारा अधिसूचित नहीं, मौजूदा रारा की समायोजित लंबाई केवल	80
16	मध्य प्रदेश	43,45,346,543,552,943,752जी,135बी,135बीबी,135बीडी,135बीजी,135सी,146बी,146बी,147ई,148एन,148एनजी,161जी,339बी,347बी,347सी,347ए,347बीजी,543के,548सी,552जी,752बी,752सी,752डी,753बीई,753एल,एनई4	3,825
17	महाराष्ट्र	50,52,60,61,63,160,247,266,348,465,543,548,561,647,652,753,761,953,965,361एफ,161ए,166ई,548ए,752जी,752आई, 965सी,130डी,150सी,160ए,160बी	12,124

			लंबाई किमी में
क्र. सं.	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या / नाम	अधिसूचित रारा की लंबाई
		,160सी,160डी,160एच,161ई,161जी,161एच,166डी,166एफ,166जी,166एच,347सी,347ए,348ए,348बी,348बीबी,353बी,353सी,353डी,353ई,353आई ,353जे,353के,361बी,361सी,361एच,461बी,543के,547ई,548बी,548सी,548सीसी,548डी ,548डीडी,548डीजी,548ई,548एच,561ए,752ई,752एच,752के,753एबी,753बीबी,753बीई,753सी,753ई,753एफ,753एच,753जे,753एल,753एम,930डी,965डी,965डीडी,965जी,एनई4	
18	मणिपुर	102ए,102बी,137,137ए	347
19	मिजोरम	6,102बी,302,306ए,502ए	321
20	नगालैंड	229,202के,329ए,702ए,702बी ,702डी	339
21	ओडिशा	20,55,126,655,720,126ए,130सीडी,143एच,157ए,316ए,320डी,516ए	1,234
22	पुदुचेरी	कोई रारा अधिसूचित नहीं, मौजूदा रारा की समायोजित लंबाई केवल	37
23	पंजाब	254,354,703,754,105बी,148बी,148बीबी,152ए,205ए,205एजी,205के,344ए,344बी,354बी,354ई,503ए,503डी,703ए,703एए,703बी,754ए,754एडी,एनई5,एनई5ए	2,361
24	राजस्थान	11,68,70,168,311,703,911,921,925,954,968,125ए,148बी,148सी,148एन,148एनजी,168ए,552जी,754के,911ए,925ए,एनई4,एनई4सी	2,932
25	सिक्किम	310ए,310एजी,510,710,717ए,717बी	570
26	तमिलनाडु	32,48,136,338,383,785,844,132बी,136बी,179ए,179बी,179डी,332ए,381ए,381बी,544एच,716ए,716बी,744ए,948ए,एनई7	2,102
27	तेलंगाना	61,63,163,167,363,563,150सी,161एए,161बी,161बीबी,163जी,167के,167एन,353बी,365बी,365बीबी,365बीजी,765डी,765डीजी,930पी	2,497
28	त्रिपुरा	8,108बी,208,208ए	264
29	उत्तर प्रदेश	21,321,328,552,730,731,734,124सी,124डी,128ए,128बी,128सी,135बी,135ए,135बीबी,135सी,148एनए,227ए,227बी,319डी,321जी,328ए,330बी,330डी,334डी,334डीडी,344बीजी,344जी,344जीएम,530बी,709ए,709एडी,709बी,727ए,727एए,727बी,727बीबी,727जी,727एच,730बी,730सी,730एच,730S,731ए,731एजी,731बी,731के,एनई3,एनई6	4,533
30	उत्तराखंड	7,9,107बी,109डी,109के,134ए,309बी,344बीजी,707ए,731के	1,147
31	पश्चिम बंगाल	116,218,312,116ए,316ए,327सी,717ए	655
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	एनई4	6

*****